विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, मा. सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न		**उत्तर**
4 (क)	'क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के पश्चात् प्रतीक्षा सूची से चयनोपरान्त कार्यरत समीक्षा अधिकारियों (बैच 1991) की ज्येष्ठता बनाये जाने में किये गये विभेदीकरण एवं अनियमितता को दूर कर नियमानुसार ज्येष्ठता बनाने विषयक श्री दीपक सिंह, सदस्य, विधान परिषद् के पत्रांक 235/स0वि0स0स0/वि0प0/2022, दिनांक 07 अप्रैल,2022 प्राप्त हुआ है?	जी हां।
(ख)	यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किये गये अनुरोधानुसार विभेदीकरण दूर करते हुए नियमानुसार ज्येष्ठता सूची बनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी?	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-552/2017 उत्तर प्रदेश शासन बनाम डा0 किशोर टण्डन व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.06.2021 के क्रम में समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 03.04.2019 निष्प्रभावी हो चुकी है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.06.2021 के अनुपालन में सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग की अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27.08.2021 तथा उक्त आधार पर समीक्षा अधिकारी संवर्ग की अंतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.08.2022 मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.06.2021 के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित 04 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन प्रख्यापित की गयी है।
(ग)	यदि हाँ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड.)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	कार्यालय ज्ञाप सं0-I/201157/2022,दि0-11.08.22 द्वारा निर्गत समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट–http://sadup.gov.in पर प्रदर्शित है |

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।